

प.क्षे.-II/लोक सूचना/2021/070 | 1248

दिनांक : 24/11/2021

सेवा में,
श्री रवीन्द्र पराशर (एडवोकेट)
107, कौशल्याधाम अपार्टमेंट,
सेंट अल्योसियस स्कूल, रिमझा,
जबलपुर – 482007, मध्यप्रदेश.

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के संबंध में ।

महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा प्रेषित पत्र एवं रूपये 10/- का IPO नं.- 56F 527106 (संदर्भ के लिए संलग्न), इस कार्यालय में के.लो.सू. के द्वारा दिनांक 28/10/2021 को प्राप्त हुआ है । आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी का जवाब इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, CPIO के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपीलिय अधिकारी के सम्मुख अपील कर सकते हैं । आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अपीलिय अधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है ।

श्री सुरेंदिरन ए., अपीलिय अधिकारी,
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
क्षेत्रीय मुख्यालय, पश्चिम क्षेत्र-2
प्लाट न-54, रिया-रेवती रिसोर्ट के पास, समा-सावली रोड,
वडोदरा – 390 024 (गुजरात).
धन्यवाद सहित,

21/11/21
(केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी)
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा

संलग्न : यथोपारि

प्रतिलिपि: -

1. कार्यपालक निदेशक (प.क्षे.-II), वडोदरा – सादर सूचनार्थ
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक – (वित्त व लेखा) / (सतर्कता), प.क्षे.- II
3. मुख्य प्रबन्धक (LAW), प.क्षे.- II

क्षेत्रीय मुख्यालय प्लाट सं.54,रिया रेवती रिसोर्ट के पास,अम्बे विद्यालय के सामने समां सावली रोड, वडोदरा-390008(गुजरात)
RHQ/ Plot No.54, Adjacent to Riya-Revati Resort, Opp Ambe Vidhyalaya, Sama Savli Road Vadodara – 390008(Gujarat)
averma@powergridindia.com

केन्द्रीय कार्यालय: "सौदामिनी", प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुरुग्राम -122001, (हरियाणा) दूरभाष: 0124-2571700-719

Corporate Office: "Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.: 0124-2571700-719

पंजीकृत कार्यालय: बी -9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली -110 016. दूरभाष: 011-26560112, 26560121, 26564812, 26564892, CIN: L40101DL1989GOI038121

Registered Office: B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110 016. Tel: 011-26560112, 26560121, 26564812, 26564892, CIN : L40101DL1989GOI038121

Website: www.powergridindia.com

श्री रवींद्र परासर (एडवोकेट) की दिनांक 28/10/2021 को प्राप्त आरटीआई अर्जी नं.-PGCIL/WRTS-II/2021/070 जोकि प्रार्थी द्वारा 765 के.वी. जबलपुर-गाडरवारा लाइन के निर्माण के दौरान जिला नरसिंहपुर के विभिन्न गांवों में किए गए स्ट्रिंगिंग कार्य से संबन्धित JMC (Joint Measurement Certificate) की प्रतियाँ प्रदान करने के संदर्भ में मांगी गयी सूचना का जवाब निम्नलिखित है;

❖ बिंदुवार उत्तर नीचे दिया गया है ;

आरटीआई अर्जी	आरटीआई का उत्तर
दिनांक 28/10/2021 को प्राप्त RTI अर्जी :-	
1. 765 के.वी. जबलपुर-गाडरवारा लाइन के निर्माण के दौरान जिला नरसिंहपुर के विभिन्न गांवों सिंगपुर, नवलगांव, चौराखेत, मुरलीपौड़ी, डाशिधांग, करताऊ, बहोरिपार, सूखा आदि में किए गए स्ट्रिंगिंग कार्य से संबन्धित JMC (Joint Measurement Certificate) की प्रतियाँ प्रदान करें।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी तीसरे पक्ष से संबन्धित जानकारी है और साथ-साथ यह तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी भी है जिसके प्रकटीकरण का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि से कोई सीधा संबंध नहीं है। अतः आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1)(j) के तहत मांगी गयी जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता है।

21-11
 (केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी)
 पश्चिम क्षेत्र - II, वडोदरा

(c) information, the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or the State Legislature;

(d) information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party, unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information;

(e) information available to a person in his fiduciary relationship, unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information;

(f) information received in confidence from foreign Government;

(g) information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes;

(h) information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders;

(i) cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers:

Provided that the decisions of Council of Ministers, the reasons thereof, and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken, and the matter is complete, or over:

Provided further that those matters which come under the exemptions specified in this section shall not be disclosed;

(j) information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information:

Provided that the information which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person.

19 of 1923.

(2) Notwithstanding anything in the Official Secrets Act, 1923 nor any of the exemptions permissible in accordance with sub-section (1), a public authority may allow access to information, if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interests.

(3) Subject to the provisions of clauses (a), (c) and (i) of sub-section (1), any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened twenty years before the date on which any request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under that section:

Provided that where any question arises as to the date from which the said period of twenty years has to be computed, the decision of the Central Government shall be final, subject to the usual appeals provided for in this Act.

दर देना नाम देना कसु रजिस्टरी १९७५-७६ पत्राणु ०५ दहा रुपय ०६ नका २५ रुपय २५ रुपयकाणि

NOT NEGOTIABLE



भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महादेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO मिन्ट्रि डिपार्ट्मेन्ट
उन्हा डिपार्ट्मेन्ट सिविल-वडावडा को

दस रुपय की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10


AT THE POST OFFICE AT

वडावडा (वडावडा)

के डाकघर में अदा करें।

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

56F 527106



कमीशन COMMISSION रुपय 1 RUPEE

SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

उन्हा डिपार्ट्मेन्ट सिविल-वडावडा

वडावडा (वडावडा)

पोस्ट मास्टर (Signature)

பக்கி குபாய் சிசி ருபாயல்

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रपत्र - एक
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत
आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम : रवीन्द पाराशर (एडवोकेट)

2. पता / ई-मेल / फेक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है : फ्लैट नं. 107, कोरिडोर, धाम, अपार्टमेंट सेट असायसियल स्कूल के सामने रिमडा कदगी रोड जबलपुर

3. दूरभाष क्रमांक : 9525420333, 9131715577

4. आवेदन देने का दिनांक : 07-07-2021

5. कार्यालय का नाम : पावरप्रैड कॉर्पोरेशन टी.एल.सी. इलाहाबाद

6. चाही गई जानकारी का विवरण : गाइडलाइन के अनुसार 765 KVA लाइन की JMC लाइव मैटरमेंट सर्टिफिकेट जिसमें ग्राम - सिंगपुर नवलगाव, चौराखेवा, मुश्लोपीडा, डारीयावा, करवाज, बघौरीपार, खुरपा आदि ग्रामों के रिहंगिरी के क्षेत्र में बिना कानून के 3 एल.सी. किया गया है जिसकी प्रमाणित प्रति / JMC रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति

7. क्या चाहते हैं नकल / निरीक्षण / रिकार्ड निरीक्षण / रिकार्ड की प्रमाणित प्रति / प्रमाणित नमूना

8. आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस पी..... रुपये 10/- नगद/स्टॉम्प (बी.पी.एल. सूची के सदस्य को देय नहीं)

9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं हाँ / नहीं
 यदि हां तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक

हस्ताक्षर Ravindra Parashar
 आवेदनकर्ता Adm

टीप यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रुपये 10/- का नान ज्युडिशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें ।

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का नाम :

2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक :

3. संबंधित शाखा / अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी (सांकेतिक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत) :